भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *198

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

पीएम मुद्रा योजना के तहत महिला खाताधारक

*198. डॉ. शशि थरूर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल खातों में से 71.03 प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के पास थे लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 की पीएम मुद्रा योजना की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें केवल 48 प्रतिशत ऋण प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो ऐसी असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण की उच्चतम श्रेणी) में महिलाओं के पास केवल 11.66 प्रतिशत तरुण खाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तरुण श्रेणी, जो उच्चतम श्रेणी है, के तहत महिला खाताधारकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'पीएम मुद्रा योजना के तहत महिला खाताधारक' के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए दिनांक 9.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *198 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ दिनांक 08.04.2015 को किया गया था और इस योजना के अंतर्गत आय का सृजन करने वाले कार्यकलापों के लिए गैर-वित्तपोषित सूक्ष्म/लघु व्यावसायिक इकाइयों को संस्थागत वित्त की पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा 20 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। चार श्रेणियों, अर्थात्, शिशु (50,000 रुपए तक के ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण), तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण) के अंतर्गत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के साथ-साथ कृषि सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल खातों की संख्या में 71.03% खाते महिला लाभार्थियों के हैं, जिसमें 48% स्वीकृत ऋण राशि शामिल है।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पीएमएमवाई के अंतर्गत महिलाओं को स्वीकृत किए गए कुल ऋण में से लगभग 99% ऋण शिशु और किशोर श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इसलिए, महिलाओं को दिए गए ऋणों का औसत आकार कम है। केवल 11.66% महिला उद्यमियों ने तरुण श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल नहीं किए गए संभावित उधारकर्ताओं को झंझट मुक्त ऋण प्रदान करना है। मुद्रा ऋणों के माध्यम से औपचारिक ऋण प्रणाली में प्रवेश करने के बाद अधिकतर महिला उधारकर्ताओं ने अपना ऋण-इतिवृत्त बनाया है। इसके अलावा, विगत वर्षों के दौरान शिशु श्रेणी के उधारकर्ता धीरे-धीरे किशोर श्रेणी में और किशोर श्रेणी के उधारकर्ता तरुण श्रेणी में क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं।

सरकार ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गहन प्रचार अभियान, आवेदन प्रपत्र को सरल बनाना, ऋण गारंटी योजना, ऋण संपर्क और वित्तीय साक्षरता अभियान, आबंटित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की निगरानी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा करना, 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए तरुण प्लस श्रेणी का शुभारंभ करना आदि, शामिल हैं।

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के नियमित अनुवर्तन और निगरानी से महिला उद्यमियों को उधार देने में विगत वर्षों के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022-23 में 11.66% था, वर्ष 2023-24 में बढ़कर 12.82% और वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 01.11.2024 तक) में 12.74% हो गया है।

*****